रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042024-253570 CG-DL-E-05042024-253570

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230]

No. 230]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2024/चैत्र 16, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2024/CHAITRA 16, 1946

> वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

> > अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2024

संख्या 23/2024-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 244(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमाशुल्क, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023, जिसे सा.का.नि. 884(अ), दिनांक 07 दिसम्बर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था. में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (4) में, शब्द और अक्षर " 30 अप्रैल, 2024" के स्थान पर, शब्द और अक्षर "30 जून, 2024" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/241/2023-टीओ(टीआरय्-I)]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

2439 GI/2024 (1)

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमाशुल्क, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023, को सा.का.िन. 884(अ), दिनांक 07 दिसम्बर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 21 फरवरी, 2024, जिसे सा.का.िन. 121 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2024

No. 23/2024-Customs

G.S.R. 244(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 64/2023-Customs, dated the 07th December, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 884(E)., dated the 07th December, 2023, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, in Column (4), for the words and figures "30th day of April, 2024", the words and figures "30th day of June, 2024" shall be substituted.

[F. No. CBIC-190354/241/2023-TO(TRU-I)] VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: The principal notification No. 64/2023-Customs, dated the 07th December, 2023, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 884(E), dated the 07th December, 2023, and was last amended *vide* notification No. 12/2024-Customs, dated the 21st February, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 121(E), dated the 21st February, 2024.